(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 07/2020

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2020/00008

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री मयंक गेरा पुत्र श्री रोशन गेरा उम्र 25 वर्ष जाति पंजाबी निवासी हाट चौक अटरू जिला बारॉ (मौके पर मौजूद विक्रेता) मैसर्स महादेव ऐजेन्सी हाट चौक अटरू जिला बारॉ
2. श्री विष्णु अवतार खण्डेलवाल पुत्र कन्हैयालाल खण्डेलवाल (नोमिनि) निवासी 29 धानमण्डी कोटा। मैसर्स वरूण बेवरेजेज, एफ–202 इन्द्रप्रस्थ एण्ड एरिया गोबरिया बावडी रोड नं0–5 झालावाड रोड कोटा
3. मैसर्स वरूण बेवरेजेज, एफ–202 इन्द्रप्रस्थ एण्ड एरिया गोबरिया बावडी रोड नं0–5 झालावाड रोड कोटा
4. श्री सत्य प्रकाश चौहान पुत्र श्री मनीराम (नोमिनि) VARUN BEVERAGES LTD. Plot No. SP 290-292 RIICO Industrial Area Chopanki Bhiwdi, Alwar- 301019 (Raj.)
5. VARUN BEVERAGES LTD. Plot No. SP 290-292 RIICO Industrial Area Chopanki Bhiwdi, Alwar- 301019 (Raj.)
6. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री चन्द्र मोहन मिश्रा (नोमिनि) VARUN BEVERAGES LTD. Plot No. 2, SURAJPUR BYPASS, GREATER NOIDA- 201306 (U.P.)
7. VARUN BEVERAGES LTD. Plot No. 2, SURAJPUR BYPASS, GREATER NOIDA- 201306 (U.P.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोविन्द गुर्जर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 01.08.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.02.2019 को मैसर्स महादेव ऐजेन्सी हाट चौक अटरू जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री मयंक गेरा पुत्र श्री रोशन गेरा (मौके पर मौजूद विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:40:37 IST
Reason: SelfAttested

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.01.[illegible] को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित [illegible] रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना [illegible] क्रमांक [illegible]/एफ/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **Mango Drink(Slice Tropicana)** 1.2 लीटर की पैक बॉटल मे आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **Mango Drink(Slice Tropicana)** 1.2 लीटर में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **Mango Drink(Slice Tropicana)** 1.2 लीटर की 04 बॉटल वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी, जिसकी कीमत श्री मयंक गेरा पुत्र श्री रोशन गेरा (मौके पर मौजूद विक्रेता) को 240/– रूपये (अक्षरे दो सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **Mango Drink(Slice Tropicana)** 1.2 लीटर मूल बॉटल पर ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–892 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–892 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री मयंक गेरा पुत्र श्री रोशन गेरा (मौके पर मौजूद विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/99 दिनांक 02.04.2019 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 67/FSSA/Act/2019/156 दिनांक 28.03.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु [illegible] लिया गया खाद्य पदार्थ **Mango Drink(Slice Tropicana)** 1.2 लीटर खाद्य सुरक्षा एवं [illegible] 2011 की धारा 3(1)(zf) (C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:40:37 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दिनांक 24.01.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **Mango Drink(Slice Tropicana)** 1.2 लीटर को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zf) (C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाराँ द्वारा अवैधानिक तरीके से पूर्ण प्रक्रिया नहीं अपनाकर खाद्य पदार्थ का सेम्पल लिया गया था जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को भिजवाया गया था। उक्त प्रयोगशाला भी उस समय मान्यता प्राप्त नहीं थी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 67/FSSA/Act/2019/156 दिनांक 28.03.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mango Drink(Slice Tropicana)** 1.2 लीटर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zf) (C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट प्रति भी अप्रार्थीगण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अन्यथा उक्त सेम्पल की पुनः अन्य प्रयोगशाला में जांच करवाई जाती। प्रकरण में सम्पूर्ण प्रक्रिया अवैधानिक तरीके से अपनाई गई है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध गलत तरीके से प्रस्तुत की गई कार्यवाही खारिज किए जाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 01 यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 67/FSSA/Act /2019/156 दिनांक 28.03.2019 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी क्रम 01 को जरिये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये किन्तु अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mango Drink(Slice Tropicana)** 1.2 लीटर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 67/FSSA/Act /2019/156 दिनांक 28.03.2019 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पायी गयी है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण को राशि कुल जुर्माना राशि 25,000/– रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को [illegible] लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:40:37 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)